UPBB010065942021

न्यायालय: **विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं.**04,** बाराबंकी।

सत्र परीक्षण वाद सं० 1990/2021

सरकार बनाम अमित कुमार आदि।

अपराध सं. 16 /2015
धारा 147, 148, 149, 302, 364, 201, 216 भा०दं०सं०,
थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

निस्तारण प्रार्थनापत्र **59 ब व 61ब**

आदेश पत्र

दिनांक: 09–09–2022

विशेष सत्र परीक्षण आदेशार्थ प्रस्तुत हुआ।

पूर्व नियत तिथि पर डा० विजय के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 59 ब पर एवं अमित कुमार, रिंकू उर्फ नंदकिशोर एवं संगम भास्कर के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 61ब पर सुना जा चुका है।

चूंकि उपरोक्त दोनो ही प्रार्थनापत्र एक ही विषय से सम्बंधित हैं, इसलिये इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थनापत्र 59 ब डा० विजय कुमार की ओर से इस आशय का दिया गया है कि इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि यह केस द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट पर याजित है जो क एक ही सम्व्यवहार में योजित हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किशन लाल चावला बनाम स्टेट आफ यू०पी०, क्रिमिनल अपील सं.283 सन् 2021 में यह विधिक सिद्धान्त दिया है कि ''विचारण न्यायालय का कार्य केवल यह नहीं है कि वह अभियुक्त के सम्बंध में दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय दे बल्कि यह भी कर्तव्य है कि वह अगम्भीर/ मूर्खतापूर्ण मामलों की पहचान आरोप स्तर पर करके ऐसे मामले जहां आधार पर्याप्त नहीं हैं, वहां अभियुक्त को उन्मोचित कर दे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में "थाना महानगर जनपद लखनऊ के साथ जबरदस्ती गाड़ी से ले गये ..... मेरे छोटे भाई व अपने सगे सम्बंधियों के साथ थाने गये और तहरीर दी।" इससे स्पष्ट है कि बाराबंकी में जो रिपोर्ट लिखायी गयी वह दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट थी। थाना महानगर के निर्देश जो CFS Audit Logs पर Lodge and FIR के निर्देश हैं वह यहीं दर्शित करते हैं। द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी सम्व्यवहार के विषय में है

जिसके सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है जो कि विधि की दृष्टि से अनुमति योग्य नहीं है। इस वाद की सम्पूर्ण प्रकृिया द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। इस कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के क्रिमिनल अपील सं.753–755 सन् 2009 स्टेट आफ पंजाब बनाम देवेन्द्र पाल सिंह एवं अन्य में पारित निर्णय के विरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थना की गयी है कि सर्वप्रथम यह न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो कि डा० मुकेश केसरवानी के मामले में दिनांक 07–5–2009 को पारित किया गया, के आलोक में क्षेत्राधिकार पर निर्णय दे।

उक्त प्रार्थनापत्र पर विद्वान सहायक जिला शासयकी अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में कोई द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं है। हत्या एवं अपहरण के सम्बंध में एक ही प्रथम सचूना रिपोर्ट अपराध सं.16/2015 थाना बदोसराय पर धारा 147, 148, 201, 302, 364 भारतीय दण्ड संहिता के सम्बंध में दर्ज हुई और मामले में विवेचना हो चुकी है तथा मृतक का शव थाना बदोसराय क्षेत्र, जिला बाराबंकी में पाये जाने के कारण इस न्यायालय को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थनापत्र 59ब निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

इसी स्तर पर प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण अमित कुमार, रिन्कू उर्फ नंदकिशोर व संगम भास्कर की ओर से एक अन्य प्रार्थनापत्र कागज सं.61ब इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के सम्बंध में इस आधार का प्रस्तुत किया गया कि उन्होने उपरोक्त वाद में दिनांक 08–05–2019 को क्षेत्राधिकारिता के आभाव में प्रसंज्ञान आदेश निष्प्रभावी किये जाने के सम्बंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनिस्तारित रखते हुए निर्धारित दिनांक 14–12–2021 के पूर्व अचानक पत्रावली को इस न्यायालय पर स्थानांतरित कर दिया और कमीटल का आदेश अन्तर्गत धारा 209 दं०प्र०सं० पारित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय का पत्रावली के स्थानान्तरण अध्याय XXXI दं०प्र०सं० एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सिद्धान्त जो MP/MLA के विशेष न्यायालय हेतु निर्गत हुए हैं, के परिप्रेक्ष्य मं यह उचित रूप से स्पट है कि उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 08–05–2019 जीवित एवं अस्तित्व में है जिसे अभी अंतिम रूप से निस्तारित किया जाना विधि की आवश्यकता है ताकि उचित न्याय प्राप्त हो सके। प्रार्थनापत्र में यह भी कहा गया कि प्रस्तुत प्रकरण में महानगर की पुलिस प्राप्त सूचना के अग्रेसण में मौके पर जाकर तथ्यात्मक जांच की इससे सम्बंधित 100 डायल रिपोर्ट व साक्षी मनोज कुमार का बयान केस डायरी में उपलब्ध है परन्तु थाने पर जी०डी० की साक्ष्य कतिपय कारणों से विवेचक द्वारा संकलित नहीं है। आगे यह भी कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में शिखर को अपहरित कर लखनऊ परिक्षेत्र में ले जाना व छिपाया जाना अभियोजन द्वारा अभिकथित किया गया है, के कारण प्रकरण की विवेचना व विचारण लखनऊ जनपद के

न्यायिक अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना विधि की आवश्यकता व बाध्यता रही थी, का पालन प्रस्तुत प्रकरण में विधिक रूप से नहीं हुआ है। मामले में धारा 170, 173 दं०प्र०सं० का भी विधिक ढंग से अनुपालन प्रकरण की प्रकिया में नहीं अपनाया गया है तथा प्रसंज्ञान लेते समय विधि को अनदेखा कर सरसरी रूप में प्रसंज्ञान लेकर कार्यवाही अग्रसारित की गयी है तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया गया है तथा पूर्व प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 08–05–2019 के निस्तारण की याचना की गयी। प्रार्थीजन द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आधारों व दण्ड प्रक्रिया सहिता के प्राविधानों अन्तर्गत धारा 170, 173, 177, 178, 181(2), अध्याय 13, अध्याय 31, 190, 193 में उल्लिलिखत विधि इत्यादि पर विचार कर क्षेत्राधिकार के आभाव में पारित प्रसंज्ञान आदेश एवं प्रकरण में दर्ज करायी गयी दूसरी रिपोर्ट अविधिक होने के कारण पारित प्रसंज्ञान आदेश निष्प्रभावी मानकर प्रकरण समान्त करने एवं अन्य यथोचित उपचार जो प्रार्थीजन के हक में न्यायालय उचित समझे, प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

उक्त प्रार्थनापत्र पर विद्वान सहायक जिला शासयकी अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि मामल में दिनांक 22–04–2019 को अभियुक्तगण अमित कुमार, रिंकू उर्फ नंदकिशोर, तूफ़ानीराम, रामसिंह, राजेन्द्र कुमार, डा० विजय व मृदुला आनन्द के सम्बंध में सकारण संज्ञान आदेश पारित किया गया है तथा संगम भास्कर के सम्बंध में दिनांक 31–10–2019 को सकारण विस्तृत आदेश पारित कर संज्ञान लिया जा चुका है। संज्ञान आदेश के पूनर्विलोकन की कोई व्यवस्था दं०प्र०सं० में नहीं है। प्रस्तुत मामले में कोई द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थनापत्र 61ब निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी दिनेश चन्द्र द्वारा थाना बदोसराय जिला बाराबंकी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि वादी दिनेश चन्द्र का लड़का शिखर श्रीवास्तव उर्फ राजा दिनांक 19–01–2015 को अपने आफिस गया था और वहीं से 12:30 बजे लखनऊ चला गया। डा० विजय कुमार विधायक (बासगांव) व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द (जिला विद्यालय निरीक्षक) ने नौकरी की बावत रू.3,50,000/– लिये थे, जिसको मांगने के उद्देश्य से वादी का लड़का उनके घर कई बार गया, परन्तु ये लोग टालते रहे, काफी दिन बाद उसके लड़के ने बताया कि डा० विजय कुमार व उनकी पत्नी ने उससे रू.3,50,000/– रूपये लिये हैं तब वह अपनी पत्नी के साथ डा० विजय कुमार व मृदुला आनन्द से लखनऊ में मिला तो उन्होने कहा कि परेशान न हो, लड़के का काम करा देंगें। दिनांक 19–01–2015 को समय करीब 05:45 बजे विधायक ने अपने आदमियों द्वारा शिखर को घर बुलवाया कि आकर पैसा वापस ले लो, वादी ने अपने छोटे बेटे शिवम से फोन पर बात की तो पता

चला कि कुछ लोगों के साथ वह विधायक के यहां गया हुआ है, तो वादी फोन करता रहा और फोन भी मिलवाया, परन्तु फोन स्विच आफ बताता रहा। वादी का छोटा लड़का शिवम उनके सरकारी आवास निशातगंज लखनऊ गया जहां उसके नौकर ने बताया कि विधायक व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा 4–5 अन्य लोग शिखर श्रीवास्तव को जबरदस्ती गाड़ी से ले गये हैं। गनर एवं घर के नौकरों से पूंछतांछ की गयी तो जवाब मिला कि विधायक जी से सबेरे साढ़े आठ बजे मुलाकात होगी। दिनांक 20–01–2015 को सुबह 08:20 बजे, शिखर के मोबाइल से वादी के छोटे बेटे के नम्बर पर पुलिस से सूचना आयी थी कि उसके भाई की लाश सड़क किनारे बदोसराय रामनगर मार्ग पर ग्राम बरदरी मरकामऊ में छत–विछत पड़ी है, जिस पर सभी लोगों ने पहुंचकर लाश की शिनाख्त की, डा० विजय कुमार व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा 5–6 अन्य साथी निवासीगण मोहल्ला निशातगंज, थाना महानगर, जनपद लखनऊ ने मेरे लड़के की किसी धारदार हथियार व लाठी डण्डों से गम्भीर चोट पहुंचाकर उसकी लाश छुपा दिया था।

उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज "थाना महानगर जनपद लखनऊ के साथ जबरदस्ती गाड़ी से ले गये हैं तभी मेरे छोटे बेटे ने अपने सगे सम्बंधियों के साथ थाने गये और तहरीर दी," शब्दो पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि इस तहरीर में ही प्रथम तहरीर थाने पर दिये जाने का कथन है। इस कारण वह तहरीर जो थाना महानगर पर दी गयी वह प्रथम, प्रथम सूचना रिपोर्ट थी। परन्तु उपरोक्त तहरीर को प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही उपरोक्त तहरीर के आधार पर दर्ज किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट की कोई कापी प्रस्तुत की गयी है, न ही कोई अपराध संख्या बतायी गयी है, न ही कोई धारा बतायी गयी है। इसके अतिरिक्त इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें यह उल्लेख किया गया है कि "मेरे छोटे लड़के शिवम श्रीवास्तव उनके सरकारी निवास निशातगंज लखनऊ गये जहां उनके नौकरो ने बताया कि शिखर श्रीवास्तव उर्फ राजा को विधायक व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा चार पांच अन्य, मोहल्ला निशातगंज, थाना महानगर, जनपद लखनऊ के साथ जबरदस्ती गाड़ी से ले गये हैं तभी मेरे छोटे बेटे ने अपने सगे सम्बंधियों के साथ थाने गये और तहरीर दी। इस पर उपनिरीक्षक मनोज कुमार उनके आवास पर मेरे बेटे के साथ गये। परन्तु सम्पूर्ण अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि उपरोक्त तहरीर जिसे महानगर थाने में दिया जाना कहा जाता है वह प्रस्तुत नहीं की गयी है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर मामले की कोई अपराध संख्या दर्ज होना भी नहीं पाया जाता है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से जिस दस्तावेज CFS Audit Logs पर Lodge and FIR को आधार बनाया गया है, उसके परिशीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 20–01–2015 को अर्पितराज फोन से महानगर थाने पर 01:34:14 मिनट पर सूचना दी गयी कि मेरे भाई शिखर श्रीवास्तव उम्र 22 वर्ष रंग गेहुआ कद 5.5 फिट आज शाम मृदुला आनन्द नाम की महिला से मिलने शिक्षा आवास महानगर आया था अभी तक वापस नहीं

आये और मृदुला आनन्द भी घर पर नहीं है। इस तरह उपरोक्त CFS Audit Logs पर वर्णित तथ्य के परिशीलन से स्पष्ट है कि इससे अर्पितराज द्वारा थाना महानगर पर किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना नहीं दी गयी तथा मात्र यह कहा गया कि उसका भाई वापस नहीं लौटा। इस तथ्य को न तो किसी जी०डी० में अंकित किया गया न ही इस पर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज हुई। धारा 154 दं०प्र०सं० के अनुसार – संज्ञेय अपराध कि जाने सम्बंधित प्रत्ेक सूचना चाहे वह लिखित रूप से दी गयी हो या चाहे मौखिक रूप से दी गयी हो और उसे लेखबद्ध किया गया हो या लिखित रूप में की गयी हो तो उसकी प्रविष्ट सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जायेगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित को प्रविष्ट किया जायेगा। परन्तु प्रस्तुत मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत मामले में शिखर की गुमशुदगी की सूचना टेलीफोन द्वारा दी गयी, उसमें किसी संज्ञेय अपराध का होना नहीं कहा गया एवं वादी द्वारा अपनी तहरीर में जिस प्रथम तहरीर का उल्लेख किया गया न तो वह तहरीर प्रस्तुत की गयी न ही उसके आधार पर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज हुई। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान मामले का विचारण द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट पर हुआ। अभियुक्त की ओर से विधि व्यवस्था Case u/s 482/378/407 No.107 सन् 2011 डा० मुकेश केसरवानी बनाम स्टेट आफ यू०पी० निर्णीत दिनांक 07–05–2019 प्रस्तुत की गयी है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधिक व्यवस्थाओं का निर्वचन करते हुए यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अन्वषण अधिकरण को अन्वेषण में संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना पुलिस स्टेशन डायरी में धारा 158 दं०प्र०सं० के अधीन लिखित होने पर ही करना चाहिए। इसके उपरान्त प्राप्त समस्त सूचनाएं धारा 162 दं०प्र०सं० के अधीन आयेंगीं और पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि वह एक ही सम्वयवहार में घटित सभी अपराधें के सम्बंध में धारा 173 दं०प्र०सं० के अधीन रिपोर्ट दे। इस तरह स्पष्ट है कि द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट वहीं प्रतिबंधित है जहां संज्ञेय अपराध के सम्बंध में प्रथम, प्रथम सूचना रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन की डायरी में अंकित कर विवेचना की गयी हो। परन्तु प्रस्तुत मामले में न तो कोई तहरीर प्रस्तुत की गयी है न ही कोई प्रथम, प्रथम सूचना रिपोर्ट की कापी प्रस्तुत की गयी है न ही जनरल डायरी की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिससे यह निष्कर्ष निकले कि थाना महानगर में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। इस कारण सम्मानपूर्वक मेरा मत है कि उपरोक्त विधि व्यवस्था के तथ्य भिन्न होने के कारण प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होते। यहां यह भी उल्लिखित करना आवश्यक है कि प्रस्तुत माले की विवेचना सर्वप्रथम थाना बदोसराय की पुलिस द्वारा की जा रही थी एवं तत्पश्चात् विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० को दी गयी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रि०मि०बेन्च नं० 701 of 2015 दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव बनाम स्टेट आफ यू०पी० द्वारा प्रमुख सचिव में पारित आदेश दिनांक 22–08–2017 में अपराध सं.16/15 धारा

147, 148, 201, 364, 302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना बदोसराय की विवेचना के लिये पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को आदेशित किया गया कि मामले की विवेचना लोकल पुलिस के अन्वेषण अधिकारी द्वारा निष्पक्ष ढंग से की जाये। इस तरह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले की विवेचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश से बदोसराय की पुलिस द्वारा की गयी है। इस कारण भी विवेचना को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत मामले में धारा 156(2) दं०प्र०सं० का उल्लेख भी आवश्यक है। धारा 156(2) दं०प्र०सं० के अनुसार – "ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जायेगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिये सशक्त न था।" अभियुक्त द्वारा एक अन्य आधार यह लिया गया है कि अपहरण जैसे मामलों का विचारण दं०प्र०सं० की धारा 181 के अधीन वहीं हो सकता है जहां अपहरण हुआ हो। प्रस्तुत मामले में शिखर श्रीवास्तव का अपहरण लखनऊ में होना कहा गया है, इस कारण मामले की विवेचना लखनऊ में होनी चाहिए। परन्तु उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में धारा 180 दं०प्र०सं० के परिशीलन से स्पष्ट है कि धारा 180 दं०प्र०सं० प्रावधान करती है कि "जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से सम्बंधित होने के कारण अपराध है, जो स्वयं भी अपराध है या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिये समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर उन दोनो में से कोई भी कार्य किया गया हो।" धारा 181(2) दं०प्र०सं० के अनुसार – "किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह व्यक्ति व्यपहरित या अपहरित किया गया या ले जाया गया या छिपाया गया या निरूद्ध किया गया।" प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से स्पष्ट है कि मृतक शिखर श्रीवास्तव का अपहरण करके उसे बदोसराय बाराबंकी ले जाया गया जहां उसकी लाश मिली। इस कारण धारा 180 एवं 181(2) दं०प्र०सं० के अनुसार बाराबंकी न्यायालय में मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जहांतक संज्ञान आदेश का सम्बंध है, संज्ञान आदेश दिनांकित 22–04–2019 एवं 31–10–2019 गुणदोष पर पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन सामग्री के आधार पर पारित किये गये हैं, जिनके पुनर्विलोकन का इस न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तुत मामले में दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट, द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं है तथा प्रस्तुत मामले के विचारण की अधिकारिता बाराबंकी न्यायालय को है। अतः अभियुक्त विजय का प्रार्थनापत्र 59ब तथा अभियुक्तगण अमित कुमार, रिंकू उर्फ नंदकिशोर व संगम भास्कर का प्रार्थनापत्र 61ब निरस्त होने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त विजय का प्रार्थनापत्र 59 ब तथा अभियुक्तगण अमित कुमार, रिंकू उर्फ नंदकिशोर व संगम भास्कर का प्रार्थनापत्र 61 ब निरस्त किया जाता है।

दिनांक 09–09–2022

(कमल कान्त श्रीवास्तव)
J.O. Code:UP01559
विशेष न्यायाधीश(एम.पी. एवं एम.एल.ए.)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.04, बाराबंकी।